

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

दावा सं०  
67 / 18

अध्याशित:- श्री गंगाधर श्रीणा आर०ए०एस  
निर्णय दिनांक  
19.11.2022  
दायर दिनांक  
07.05.2018

उनवान

1. रोशनी देवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बोलनी तहसील  
किशनगढ़बास जिला अलवर।

:- वादिया

बनाम

1. अकबर पुत्र हुसमत जाति मेव।
2. अरसद पुत्र आजाद।
3. असलम पुत्र आजाद।
4. शौकत खां पुत्र आजाद।
5. प्रमीना पुत्री आजाद।
6. ताहिरा पुत्री आजाद कौम मेव निवासी चामरोदा तह० किशनगढ़बास जिला अलवर।
7. चरणसिंह पुत्र रामौतार।
8. जयसिंह पुत्र रामौतार।
9. रतनसिंह पुत्र रामौतार जाति नाई निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढ़बास जिला  
अलवर राज०।
10. बडोदा राज० क्षेत्रिय बैंक शाखा किशनगढ़बास जयें बैंक मैनेजर।
11. राज० सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार किशनगढ़बास।

:- प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53, 188  
आर०टी० एक्ट 1955

- उपस्थिति: 1. श्री पूरणसिंह यादव वकील वादीया की ओर से।  
2. श्री बालकिशन जी वकील प्रति० की ओर से।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़बास (अलवर)

5-9-18  
13-10-18  
23-11-22  
स्वाकार 0

अन्तिम पर्चा डिकी  
वादीया की ओर से श्री पूरणसिंह यादव एडवोकेट व प्रतिवादीग की ओर से श्री बालकिशन जी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 19.11.22 को श्री गंगाधर मीणा उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है ओर अन्तिम पर्चा डिकी दी जाती है:-

आराजी ख0न0 422 रकबा 0.8300हे0 वाके ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला अलवर को प्राप्त कुरे कायमी रिपोर्ट दिनांक 15.11.2022 "प्रदर्श-अ" के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही अलग- अलग खाते कायम कर लगान स्थापित किया जावे, अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन की स्थिति मे पक्षकरान को मिलने वाले हिस्से रकबे , आराजी से ऋण राशि वसूलनीय होगी। कुरे कायमी रिपोर्ट "प्रदर्श-अ" निर्णय व अन्तिम पर्चा डिकी का अभिन्न रहेगा।  
यह अन्तिम पर्चा डिकी आज दिनांक 19.11.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(गंगाधर मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढबास (अलवर)